पत्रांक–बि०प्र०सु०मि०सो०/HRMS-18/2022, सो०–...1006

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, सभी विभाग।
अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक–31/03/2023

विषयः– **Pre CTMIS एवं CTMIS अवधि के मृत सरकारी सेवकों का पैन कार्ड अनुपलब्धता की स्थिति में HRMS Payroll Module में On Boarding के संबंध में।**

प्रसंगः– मिशन सोसाइटी का पत्रांक–2517, दिनांक–18.10.2022 एवं पत्रांक–2583, दिनांक–28.10.2022।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में कहना है कि Pre CTMIS एवं CTMIS अवधि के मृत सरकारी सेवकों का पैन कार्ड अनुपलब्धता की स्थिति में HRMS Payroll Module में On Boarding में पैन की अनिवार्यता के कारण आ रही कठिनाईयों के निराकरण के लिये विभागों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इसके कारण माननीय पटना उच्च न्यायालय/मानवाधिकार आयोग में सुनवाई के मामलों का निष्पादन करने में कठिनाई आ रही है। HRMS On Boarding में मृत सरकारी कर्मियों के लिये पैन की अनिवार्यता के शिथिलीकरण के बिन्दु पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है।

वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भुगतान के क्रम में इस तथ्य को दृष्टिपथ रख सकते हैं कि उत्तराधिकारी को भुगतान होने वाली राशि आयकर से आच्छादित है या नहीं। तदोपरान्त पैन की अनिवार्यता को शिथिल किया जा सकता है।

उपर्युक्त परामर्श के आलोक में HRMS On Boarding Module में पैन की अनिवार्यता को शिथिलीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है। इसके लिये संबंधित कर्मी का सेवा से विच्छेद Tab में कर्मी की मृत्यु का चयन करने पर शिथिलीकरण प्रभावी हो जाता है। साक्ष्य के रूप में मृत कर्मी का मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति या इसके अभाव में उत्तराधिकारी का एतद संबंधी शपथ–पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अपेक्षित होगा।

अतः अनुरोध है कि वर्णित प्रक्रिया से अधीनस्थ सभी नियुक्ति प्राधिकार एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

31.3.23

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांकः **बि०प्र०सु०मि०सो०/HRMS-18/2022 सो० 1006, दिनांक 31/03/2023**

प्रतिलिपिः संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक–1165 अनु०, दिनांक–03.03.2023 एवं निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक–2084(अ०), दिनांक–23.12.2022 के संदर्भ में कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.3.23

विशेष कार्य पदाधिकारी।